न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री ब्रह्मलाल जाट, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–

1. पतासीदेवी पुत्री हनुमानराम जाट
2. केसरदेवी पुत्री हनुमानराम जाट
   सा. लाम्बा तह. नावां

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. लादूराम पुत्र हनुमानराम
2. कानाराम पुत्र हनुमानराम
3. भूराराम पुत्र मुनाराम जाट
4. देवाराम पुत्र मुनाराम जाट
5. गोपालराम पुत्र गुनाराम जाट
6. भैरूराम पुत्र हनुमानराम जाट
   सा. लाम्बा तहसील नावां
7. छोटीदेवी पत्नी लक्ष्मणराम जाट
   सा. हनुमानपुरा तह. नावां
8. उप पंजीयक नावां
9. तहसीलदार नावां

प्रार्थना पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा।

उपस्थित :– श्री राजेश कुमार गुर्जर वकील प्रार्थीगण
श्री बजरंगलाल वकील अप्रार्थी 6, 7

मुकदमां नम्बर :– 17/2015

निर्णय दिनांक :– 29.05.2019

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1 से 6 एक ही खानदान के सदस्य हैं तथा स्व. हनुमानराम के वारिसान है। ग्राम लाम्बा के खसरा नम्बर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 78 कुल रकबा 14.14 हैक्टयर भूमि स्व. हनुमानराम के खातेदारी की भूमि रही है। स्व. हनुमानराम जी का स्वर्गवास होने पर उनके चारो पुत्रों ने अकेले अपने नाम खातेदारी दर्ज करवा ली जबकि उक्त भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी 1, 2, 6 व 3 से 5 के पिता मुनाराम प्रत्येक का 1/6 हिस्से के जन्म से ही अधिकारी है। प्रार्थीगण को अभी हाल ही में सुनने में आया की अप्रार्थी 6 ने अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का बेचान कर दिया हैं जिसकी जानकारी करने व दिनांक 23.03.2015 को उपं पंजीयन कार्यालय से नकल प्राप्त करने पर जानकारी में आया की अप्रार्थी 6 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी 7 के पक्ष में बैचान कर दिया हैं। पटवारी हल्का को अपने पैतृक अधिकारो के तहत

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

स्व. हनुमानाराम की खातेदारी सुदा भूमि में जरिये उत्तराधिकार की हैसियत से प्रार्थीगण का नाम दर्ज करने की कहने पर उनके द्वारा इंकार कर दिया। पैतृक भूमि का धोका धडी पूर्वक किये गये विक्रय पत्र के आधार अप्रार्थी 7 ने प्रार्थीगण को पैतृक सम्पति से बेदखल करने की धमकी दी हैं तथा प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा डालना शुरू कर दिया हैं। जिससे यह अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पैदा हुआ हैं। प्रार्थीगण के भाईयो ने खातेदारी के आधार भूमि का बंटवारा कर लिया हैं जिसके बाद प्रार्थना पत्र के पेरा संख्या 3 में वर्णित अनुसार खसरा नम्बर कायम होकर खातेदारी दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। प्रार्थीगण ने मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 6, 7 की ओर से वकील श्री बजरंगलाल ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर निवेदन किया हैं कि हनुमानाराम पुत्र सेवाराम का स्वर्गवास दिनांक 26.08.1992 को हो गया था जिसके बाद उक्त भूमि की खातेदारी जरिये उत्तराधिकारी लादूराम, कानाराम, मुन्नाराम व पत्नि धापूदेवी के नाम दर्ज हुई। धापुदेवी पत्नी हनुमानाराम का स्वर्गवास वर्ष 1998 में हो चुका हैं जिसके स्थान पर भी अप्रार्थी 6 भैरूराम व लादूराम, कानाराम, मुन्नाराम काबिज खातेदार काश्तकार दर्ज हुऐ हैं। स्व. हनुमानाराम की भूमि में 1/6 हिस्सा प्रार्थीगण नहीं रहा हैं क्योंकि हनुमानाराम का स्वर्गवास 1992 में हो गया था व उस समय प्रार्थीगण बालिग थे एवं हनुमानाराम ने अपने जीवनकाल में ही प्रार्थीगण का विवाह कर दिया जो अपने ससूराल निवास करती हैं। प्रार्थीगण के माता पिता के स्वर्गवास की जानकारी प्रार्थीगण को थी स्व. हनुमानाराम के स्वर्गवास के बाद दर्ज फौतगी नामान्तकरण व स्व. धापूदेवी के स्वर्गवास के बाद दर्ज फौतगी नामान्तकरण की जानकारी प्रार्थीगण को लेकिन सभी उस पर एतराज या उज्र नहीं किया हैं, ना ही नामान्तकरण की कोई अपील की है। तत्पश्चात अप्रार्थीगण की खातेदारी दर्ज रहने के दौरान भूमि का भौतिक बंटवारे के माफिक विधिवत रूप से बंटवारे का एक वाद 131/09 इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 10.05.2010

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

को हो चुका हैं जिसमें ग्राम लाम्बा के खसरा नम्बर 55 रकबा 0.04 हैक्टयर व 52 रकबा 1.44 हैक्टयर भूमि का सेपरेट खातेदार कृषक घोषित किया था उक्त वाद का भी अप्रार्थीगण ने कोई एतराज नहीं किया है। अप्रार्थी 7 ने अप्रार्थी 6 भैरूराम की खातेदारी भूमि कय की हैं केवल मात्र अप्रार्थी 7 को हेरान व परेशन करने की नियत से यह वाद व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। विधिवत बंटवार के बाद अप्रार्थी भैरूराम को प्राप्त भूमि का अप्रार्थी 7 ने कय कर कब्जा प्राप्त किया हैं जिस पर प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। शेष अप्रार्थीगण को नोटिस विधिवत रूप से तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवचेन के अनुसार इस प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने व उभय पक्षकारान को आदेशित करने के लिऐ निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार किया जाना हैं जिसमें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति :-

-:प्रथम दृष्टया मामला :-

प्रार्थीगण के अधिवक्ता के अनुसार विवादित भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पैतृक सम्पति हैं जिसमें प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा हैं जिसका अप्रार्थीगण द्वारा नाजायज रूप से बैचान किया जा रहा हैं व अप्रार्थी 6 द्वारा तो अपना सम्पूर्ण हिस्से का बैचान कर दिया हैं जिसमें अप्रार्थीगण सफल हो जाते हैं तो प्रार्थीगण अपनी पैतृक सम्पति से हमेशा के लिए वंचित हो जायेगी जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण का बनना पाया जाता हैं। इसके विपरित अप्रार्थी 6, 7 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया हैं कि सन् 1992 में ही सभी भाईयों की खातेदारी दर्ज होकर मौके पर बंटवारा हो गया था जिसके बाद विधिवत रूप से न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर बंटवारा करवा लिया गया न्यायालय के निर्णय से जो भी बंटवारे में आयी है उस भूमि का बैचान करने का पूर्ण अधिकार था तथा अप्रार्थी 6 ने उक्त भूमि का बैचान अपनी पुत्री को किया हैं जिससे प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

उभयपक्षीय बहस सुनने व पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य विधि व्यवस्था को ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का मत हैं कि पत्रावली में प्रस्तुत फौतगी नामान्तकरणों से उक्त भूमि स्व. हनुमानराम की खातेदारी की रही हैं जिसके स्वर्गवास के बाद उसकी पत्नी व चार पुत्रों के नाम खातेदारी दर्ज की गई हैं पत्नी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि केवल चारो पुत्रों की खातेदारी में दर्ज रही हैं जिसका न्यायालय से बंटवारा जरिये राजीनामा बंटवारा करवा लिया, जिसकी प्रति उपलब्ध करवायी गई है। बंटवारे के बाद अप्रार्थी 6 को प्राप्त भूमि का उसके द्वारा अप्रार्थी 7 के पक्ष में बैचान कर दिया हैं अप्रार्थी 7 को अपनी पुत्री बताया हैं जिसके समर्थन में गोदनामें की प्रति उपलब्ध करवायी हैं जो उप पंजीयन नावां से पंजीकृत गोदनामा हैं, बेचान के विरूद्व माननीय सिविल न्यायालय में प्रार्थीगण ने वाद प्रस्तुत कर रखा हैं जो वर्तमान में विचाराधीन हैं एवं दोनों पक्षों के मध्य राजस्व वाद इसी न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी भैरूराम ने भी यह स्वीकार किया हैं कि प्रार्थीगण उसकी बहिनें हैं। अप्रार्थी 6, 7 ने यह एतराज किया हैं कि सन् 1992 के बाद फौतगी नामान्तकरण पर कोई आपत्ति नहीं की हैं न ही न्यायालय के निर्णय की अपील आदि की हैं यह तर्क प्रार्थना पत्र में देख जाने योग्य नहीं हैं तय तथ्य मूल वाद में साक्ष्य के बाद ही तय किया जा सकेगा कि प्रार्थीगण ने 1992 के बाद आपत्ति क्यों नहीं की हैं या फौतगी नामान्तकरण व न्यायालय के निर्णय की अपील क्यों नहीं की हैं। वर्तमान में यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थीगण स्व. हनुमानराम की पुत्रियां हैं और विवादित भूमि पैतृक सम्पति हैं चुंकि विवादित भूमि का एक बार बैचान किया जा चुका हैं, दौराने वाद उक्त भूमि का ओर बैचान किसी अन्य व्यक्ति को नहीं हो, जिससे राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति एवं भूमि का बैचान नहीं करने की हद तक प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है।

—: सुविधा का सन्तुलन एंव अपूर्णीय क्षति :—

जहां तक सुविधा का सन्तुलन का प्रश्न हैं, इस सम्बन्ध में पूर्व में विर्णत किया जा चुका हैं विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं बैचान नहीं करने तक प्रथम दृष्टया

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

मामला प्रार्थीगण के पक्ष में हैं ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण भूमि बेचान , बख्शीश आदि कर देते हैं एवं वाद के निर्णय में यह पाया जाता हैं कि प्रार्थीगण का विवादित भूमि में हिस्सा हैं तो प्रार्थीगण को असुविधा व अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं हैं बल्कि दोनों पक्षों विवाद एवं मुकदमें बाजी बढ़ने की सम्भावना होगी। जिससे सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रथम दृष्टया मामला , विधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों ही बिन्दु अपने पक्ष में साबित करने में सफल रही हैं जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण के स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता हैं कि दिनांक 27.03.2015 को जारी अन्तिरित अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी, नावां

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)